प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पंचायत समिति लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का स्थान :– लवाकुश

उनवान

रामसिंह ..... बनाम जयसिंह व अन्य .....

वादी — प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– अन्याय 188 R.T.Act.

प्रकरण संख्या 260/15 निर्णय दिनांक 26-5-17

वादी की ओर से वकील वादी की व प्रतिवादी की ओर से अ.उ. की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26-5-17 को महेश चन्द मान (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :– आ.ल.नं. 1576 रकबा 0.37 है.यू.
वाके ग्राम लवाकुश तह. मुण्डावर के काबिज प्रतिवादीगण को इ. इन्दरवासी से सई-लेई के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी के
काबिज वादी के कब्जे काश्त आराजी के उपयोग उपभोग से किसी प्रकार की
मुजाहमत पैदा नहीं करें नहीं किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही करें। वाद
शीघ्र निर्णय/एकतरफा डिक्री का अधिकार अग्रे रहेगा।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 26/5/17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(महेश चन्द मान)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.
मुण्डावर (अलवर)

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील	रूपया —NIL—	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 3. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. कमिश्नर की फीस 6. आदेशिका की तामील	रूपया —NIL—
योग		योग	

Scanned by CamScanner